



2026:AHC:178512

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29797 वर्ष 2026

देभी खरवार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : कपिल देव दुबे, प्रतीकधर द्विवेदी, राहुल कुमार
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विपक्षी पक्षकार की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 527 सन् 2021, धारा 396, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त अमराज कुमार खरवार, संदोल खरवार तथा सुमित खरवार द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान बताया गया था। उक्त कथन, जहां तक वे आवेदक को इस अपराध में संलिप्त करते हैं, अविश्वसनीय हैं। आवेदक के पास से देशी तमंचे की झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सह-अभियुक्त अमराज @ अभयराज खरवार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17827 वर्ष 2022, अमराज @ अभयराज खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक समानता के आधार पर जमानत का दावा करता है। अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है, उसने पुलिस विवेचना में सहयोग किया तथा विचारण में सम्मिलित हुआ है। विचारण अत्यंत धीमी गति से चल रहा है और उसके शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। विचारण में हो रहे विलंब के लिए आवेदक उत्तरदायी नहीं है। विचारण के निष्कर्ष में अत्यधिक विलंब के कारण आवेदक को उसके विरुद्ध अपराध में संलिप्त करने वाले किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में वस्तुतः अनिश्चितकालीन कारावास में रखा जाना हो गया है, जो शीघ्र विचारण के आवेदक के अधिकार का उल्लंघन है। वर्तमान मामले से पूर्व आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तथापि वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी के पश्चात उसे अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है, जिनका विवरण शपथपत्र के अनुच्छेद-15 में दिया गया है। आवेदक 03.09.2022 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

5. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्क को सुनने के पश्चात, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त अमराज कुमार खरवार, संदोल खरवार तथा सुमित खरवार द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान बताया गया था। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सह-अभियुक्त अमराज @ अभयराज खरवार को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. जहां तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का संबंध है, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक विवेचना के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अन्यथा उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, या वह विचारण से पूर्व अथवा उसके दौरान साक्षियों को भयभीत कर सकता है। राज्य ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया था। इस न्यायालय की राय में, यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का अधिकारी पाया जाता है, तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर अभियुक्त को जमानत से वंचित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित न की गई हो। अतः न्यायालय यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उचित नहीं समझता कि केवल इस आधार पर आवेदक को जमानत से वंचित किया जाए कि उसका आपराधिक पूर्ववृत्त है।

7. अश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एस.सी.सी. 446 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-30 में निम्नवत् अवलोकन किया है:-

“हम यह शीघ्रता से जोड़ना चाहेंगे कि जब हम यह कहते हैं कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, तो इसका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि आदतन अपराधी कभी भी जमानत का अधिकारी नहीं हो सकता। किंतु, जिस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।”

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2020 (11) एस.सी.सी. 648 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना, स्वयं में, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदक लगभग चार वर्षों से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आशा नहीं है। अतः मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

10. आवेदक- देभी खरवार, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) वह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होगा;
- (ii) वह अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) वह अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



24 अगस्त, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।